न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00455 (343/2018) 225 आरटीएक्ट

भूपसिह पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी –अपीलाण्ट

बनाम

1. कमला पत्नी बीरबलराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी
2. कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2018 उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 27/2014 बअनवानी भूपसिंह बनाम कमला आदि

उपस्थितः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–28.03.2019

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज भूमि को रहन बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने अपने आदेश दिनांक 026.09.2018 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में दर्ज भूमि पैतृक भूमि है तथा मुताबिक बंटवारा कमला के पास 1/3 हिस्सा बतौर ट्रस्टी परिवार की मुखिया होने के कारण है तथा वह 80 वर्ष की वृद्ध औरत है परिवार के अन्य लोग भूमि नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन बय करवाना चाहते है। यह साबित होने के बाद भी तथा दावा साक्ष्य वादी चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा विभाजन अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88, 53, 188 आरटीए के तहत हुआ है जो लम्बित है। यह सब दावा में तय होना था फिर भी 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र खारिज करने की भूल की है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे । विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 पेज 491, आरआरटी 2013 पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है। पूर्व में यह भूमि बीरबलराम के नाम दर्ज थी जिसकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुका है। उसके बाद खाता विभाजन होकर 1996 में सबके खाते में अलग अलग नाम से दर्ज हो गई है। कुछ भूमि विभाजन से प्राप्त हुई और कुछ भूमि वसियत से प्राप्त हुई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा भी रेस्पोडेण्ट का है। रेस्पोडेण्ट एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने आरआरटी 2012 (1) पेज 232, आरबीजे 2016 (23) पेज 273, आरआरडी 1989 पेज 127 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा, विभाजन, अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हुआ जिसक साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है तथा मुताबिक बंटवारा कमला के पास 1/3 हिस्सा बतौर ट्रस्टी परिवार की मुखिया होने के नाते है तथा वह 80 वर्ष की वृद्ध औरत है परिवार क अन्य लोग भूमि नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन बय करवाना चाहते है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध इंतकाल नं. 142 दिनांक 16.9.1998 ग्राम 2 ए बारानी के अनुसार प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि की रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार है। उभयपक्ष के मध्य खाता विभाजन होने के बाद खाता अलग अलग कायम हो चुका है, जिसमें रेस्पोडेण्ट को प्रश्नगत भूमि प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद अभी विचाराधीन है, जिसमें वाद के सभी विवाद बिन्दुओं का निस्तारण वाद में साक्ष्य के आधार पर होना है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार खाता विभाजन के पश्चात् रिकार्डेड खातेदार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (23) 2016 पेज 273 के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी भी हिन्दू महिला को प्राप्त सम्पति उसकी पूर्ण स्वामित्व की सम्पति मानी जायेगी और उसे इस प्रकार की सम्पति के हस्तान्तरण, वसीयत सम्बन्धी पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते है। यह कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा होता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में के तथ्यों से भिन्न होने के कारण यहां चस्पा नही होते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2018 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/3/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official